न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली, जिला टोंक राज0

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः—223/2013

निर्णय दिनांक :— 30.07.19

रामचन्द्र पुत्र लादू जाति निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज.

—वादी—

बहक

1. ओमप्रकाश पुत्र रामलाल पुत्र लादू जाति जाट निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक
2. प्रहलाद पुत्र रामलाल पुत्र लादू जाति जाट निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक
3. तहसीलदार दूनी जिला टोंक
4. निर्मला देवी पत्नी पारसकुमार जाति महाजन निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक

—प्रतिवादीगण—

उपस्थिति :—
श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता वादी

एक पक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 व 4

वाद विभाजन आराजियात

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। निर्णय इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा एक पक्षीय प्राथमिक निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 04.01.19 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली में पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार दूनी से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। कुरेजात रिपोर्ट को अधिवक्ता वादी से अवलोकन करवाया गया। प्रतिवादीगण 1 ता 2 व 4 असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अधिवक्ता वादी की प्रार्थना रही कि कुर्रेजात रिपोर्ट सही है और मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री पारित कर दी जावें।

अधिवक्ता वादी की बहस में कुर्रेजात रिपार्ट पर सहमति को मध्यनजर रखते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार दूनी द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 18 से 21 के प्रकाश में तैयार किया गया है। अतः प्रकरण में अंतिम निर्णय एकपक्षीय डिक्री आदेश एतद् द्वारा पारित किया जाता है कि जमाबंदी संवत जमाबंदी सम्वत् जमाबंदी सम्वत् 2070—73 पटवार हल्का दूनी भू.अभि.नि. क्षैत्र दूनी के खाता संख्या 65 में दर्ज कुल किता 17 कुल रकबाा 10.03 है0 में स्थित आराजी में खसरा संख्या दर्ज राजस्व रिकार्ड है। इस आराजी बाबत् एकपक्षीय दावा स्वीकार कर अंतिम निर्णय डिक्री पारित किया जाकर दावा विभाजन आराजियात होने से तहसीलदार दूनी की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 30.07.19 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली